

नियम 34 : पक्षकार को प्रतियां प्रदान करना

अपील और सुसंगत दस्तावेजों की एक-एक प्रति, साथ ही जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, प्रत्यर्थी के साथ-साथ संबंधित आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, उनके दायरे होते ही उपलब्ध कराई जाएगी।
